Indian Council of Agricultural Research
Krishi Bhawan, New Delhi – 110 001

F. No. 8(1)/2011-IU **Dated 28.9.2015**

To,

The Directors/PDs etc.
All the ICAR Units

Subject: Non – compliance by the Ministries / Departments in timely submission of Action Taken Notes on the Non-Selected Audit Paragraphs of C&AG of India – Twentieth Report (16th Lok Sabha) of the Public Accounts Committee (Para 14).

Sir,

Please find enclose Office Memorandum No. 12(22)/E. Coord /2015 dated 8.9.2015 issued by Deptt. of Expenditure, Ministry of Finance on the subject cited above. It may be ensured that the recommendations contained in the aforesaid O.M. may strictly be adhered to for timely submission of ATNs in respect of Non Selected C&AG Audit Paragraphs of the C & A G of India.

Yours faithfully,

(S.K. Pathak)
Dy. Director (Fin)

No.12(22)/E.Coord/2015
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
****

अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार
(डेयर/भा. कृ. अनु. परिषद्)
Addl. Secretary & Fin. Adviser
(DARE/ICAR)
डा. सं./Dy. No..........Date..........

North Block, New Delhi
Dated 8th September, 2015

OFFICE MEMORANDUM

Subject :- Non-compliance by the Ministries/ Departments in timely submission of Action Taken Notes on the Non-selected Audit Paragraphs of the C&AG of India –Twentieth Report (16th Lok Sabha) of the Public Accounts Committee (para 14).

The undersigned is directed to refer to 20th Report of the Public Accounts Committee (16th Lok Sabha) para no.14 pertaining to Ministry of Defence which is reproduced below:

"14. *The Committee observe that one of the reasons as to why the Ministry, as also other Ministries/ Departments of the Government of India, have not been attending to the preparation of ATNs on Paras/ subjects selected by the PAC for examination due to a misconstrued assumption that the ATN on such Paras need to be prepared only after the PAC finalized their report, and the presumption that the PAC will be able to follow through with the detailed examination of all the selected Paras.* ***The Committee, therefore, recommend that henceforth, all the Ministries and Departments shall furnish ATNs to Audit observations within the stipulated period of four months irrespective of whether a particular Para has been selected or not, by the PAC, for detail scrutiny. In the rare instance where the recommendations of Audit and the PAC differ with reference to a Para on which the Ministry had already submitted ATN based on Audit's recommendations and the PAC later on had taken up the Para for detail scrutiny, it needs to be noted that the PAC is the apex Auditing institution of the country and the remedial action taken shall have to be modified according to the PAC recommendations. The Committee desire that the Ministry of Finance (Department of Revenue) should issue necessary instructions to all the Ministries for better clarity and necessary compliance in future.***"

2. The Committee has recommended all the Ministries and Departments shall furnish ATNs to Audit observations within the stipulated period of four months irrespective of whether a particular Para has been selected or not, by the PAC, for detailed scrutiny. In the rare instance where the recommendations of Audit and the PAC differ with reference to a Para on

which the Ministry had already submitted ATN based on Audit's recommendations and the PAC later on had taken up the Para for detailed scrutiny, it needs to be noted that the remedial action taken shall have to be modified according to the PAC recommendations.

3. Accordingly, Ministries/ Departments are requested to take cognizance of the directions of PAC and comply with the instructions wherever necessary. These instructions may also be circulated to the subordinate offices etc.

(Annie George Mathew)
Joint Secretary (Personnel)

All Secretaries to the Government of India.

All Financial Advisors.

सं. 12(22)/ई.कोऑर्ड/2015

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

8 सितम्बर, 2015

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: **मंत्रालयों/विभागों द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के गैर-चयनित लेखापरीक्षा पैराओं पर की गई कार्रवाई संबंधी नोट समय पर प्रस्तुत न किया जाना - लोक लेखा समिति (16वीं लोक सभा) की 20वीं रिपोर्ट (पैरा 14)।**

अधोहस्ताक्षरी को लोक लेखा समिति (16वीं लोक सभा) की 20वीं रिपोर्ट के रक्षा मंत्रालय से संबंधित पैरा सं. 14 का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है, जो इस प्रकार है:

"14. समिति यह पाती है कि एक कारण यह है कि मंत्रालय, भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों ने एक भ्रांतिपूर्ण धारणा के कारण जांच हेतु लोक लेखा समिति द्वारा चयनित पैराओं/विषयों पर की गई कार्रवाई टिप्पणियां तैयार नहीं की हैं कि ऐसे पैराओं पर की गई कार्रवाई टिप्पण को लोक लेखा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही तैयार किए जाने की आवश्यकता है और यह माना जाता है कि लोक लेखा समिति सभी चयनित पैराओं की विस्तृत जांच के माध्यम से ही इसका अनुपालन कर पाएगी। अत: समिति सिफारिश करती है कि अब से सभी मंत्रालय और विभाग इस बात पर विचार किए बिना कि किसी विशेष पैरे का चयन लोक लेखा समिति द्वारा विस्तृत संवीक्षा हेतु किया गया है या नहीं, चार महीनों की निर्धारित अवधि के अंदर ही लेखा परीक्षा संबंधी टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई टिप्पण प्रस्तुत करेंगे। ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं जहां लेखापरीक्षा और लोक लेखा समिति ऐसे पैरा पर एक मत नहीं है जिस पर मंत्रालय ने लेखापरीक्षा की सिफारिशों पर आधारित की गई कार्रवाई टिप्पण पहले ही प्रस्तुत कर दिया है और लोक लेखा समिति ने बाद में विस्तृत संवीक्षा हेतु पैरा को विचारार्थ लिया हो, यह नोट किए जाने की आवश्यकता है कि लोक लेखा समिति देश की शीर्ष लेखापरीक्षा संस्था है और लोक लेखा समिति की सिफारिशों के अनुसार उपचारात्मक की गई कार्रवाही को संशोधित करना होगा। अत: समिति चाहती है कि वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) को सभी मंत्रालयों को स्पष्ट रूप से और भविष्य में अनिवार्य अनुपालनार्थ आवश्यक अनुदेश जारी करने चाहिए।"

2. समिति ने सिफारिश की है कि सभी मंत्रालय और विभाग, चार माह की निर्धारित समय अवधि के भीतर लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई संबंधी नोट प्रस्तुत करेंगे, चाहे लोक लेखा समिति द्वारा विस्तृत जांच के लिए किसी विशेष पैरा का चयन किया गया हो या नहीं। असाधारण स्थिति में, जहां किसी पैरा पर, जिस पर मंत्रालय ने लेखापरीक्षा की सिफारिशों के आधार पर की गई कार्रवाई संबंधी नोट पहले ही प्रस्तुत कर दिया था, लेखापरीक्षा और लोक लेखा समिति की सिफारिशों में अंतर है और लोक लेखा समिति ने बाद में उस पैरा की विस्तृत जांच की थी, वहां यह ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि 'की गई उपचारात्मक कार्रवाई' लोक लेखा समिति की सिफारिशों के अनुसार संशोधित करनी होगी।

3. तदनुसार, मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि लोक लेखा समिति के निदेशों पर ध्यान दिया जाए और जहां आवश्यक हो, इन अनुदेशों का पालन किया जाए। इन अनुदेशों को अधीनस्थ कार्यालयों आदि में परिचालित भी किया जाए।

(ऐनी जॉर्ज मैथ्यू)
संयुक्त सचिव (कार्मिक)

भारत सरकार के सभी सचिव
सभी वित्त सलाहकार।